



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 996]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2015/वैशाख 23, 1937

No. 996]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2015/VAISAKHA 23, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2015

का.आ. 1274(अ).—तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47)की धारा (3) की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री कपिल देव त्रिपाठी, सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को श्री सौरभ चन्द्र के स्थान पर दिनांक 01-05-2015 के पूर्वाहन से एवं अगले आदेश होने तक तेल उद्योग विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा. सं. जी-35012/2/91-वित्त-II]

आलोक चन्द्रा, सलाहकार (आईएफडी)

MINISTRY OF PETROLEUM AND
NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2015

S.O. 1274(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints, with effect from the forenoon of the 01.05.2015 and until further orders, Shri Kapil Dev Tripathi, Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas as the Chairman of the Oil Industry Development Board vice Shri Saurabh Chandra.

[F. No. G-35012/2/91-Fin-II]

ALOK CHANDRA, Adviser (IFD)

CO 7

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L. 33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1969।

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2015/भाद्र 25, 1937

No. 1969।

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2015/BHADRA 25, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2015

का.आ. 2507(अ).—तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 3 की उप धारा (3) खण्ड (ब) द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवं श्री अनन्त कुमार सिंह, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार को दिनांक 01.09.2015 से 31.08.2017 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तेल उद्योग विकास बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा.सं. जी-35012/2/91-वित्त. II(1)]

आलोक चन्द्रा, सलाहकार (वित्त)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2015

S.O. 2507(E).—In exercise of the powers conferred by Clause(b) Sub-section (3) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Anant Kumar Singh, Additional Secretary & Financial Adviser as a member of the Oil Industry Development Board w.e.f. 01-09-2015 till 31-08-2017 or until further orders, whichever is earlier.

[F.No.G-35012/2/91-Fin. II(1)]

ALOK CHANDRA, Adviser (Finance)

3929 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.



आरत का गाजेट The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1968]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2015/भाद्र 25, 1937

No. 1968]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2015/BHADRA 25, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2015

का.आ. 2506(अ).—तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 3 की उप धारा (3) खण्ड (ग) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एस. वरदराजन, सीएमडी, बीपीसीएल को दिनांक 01.10.2015 से 30.09.2016 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तेल उद्योग विकास बोर्ड का सदस्य पुनः नियुक्त करती है।

[फा.सं. जी-35012/2/91-वित्त. II(II)]

आलोक चन्द्रा, सलाहकार (वित्त)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2015

S.O. 2506(E).—In exercise of the Powers conferred by Clause (c) Sub-section (3) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby re-appoints Shri S. Varadarajan, CMD, BPCL as a member of the Oil Industry Development Board w.e.f. 01-10-2015 till 30-09-2016 or until further orders, whichever is earlier.

[F.No.G-35012/2/91-Fin.II(II)]
ALOK CHANDRA, Adviser (Finance)



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. [322]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2004/श्रावण 7, 1926

No. 322]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2004/SRAVANA 7, 1926

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2004

सा.का.नि. 489(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1975 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम तेल उद्योग (विकास) संशोधन नियम, 2004 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवर्त होंगे।
2. तेल उद्योग (विकास) नियम, 1975, इसके आगे कथित नियम के रूप में संदर्भित, में निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—
(1) वर्तमान अनुसूचियाँ II, III एवं IV के स्थान पर संलग्न अनुसूचियाँ II और III प्रतिस्थापित की जाएंगी।
(2) नियम 31 के उप नियम (1) में शब्दों एवं अंकों “अनुसूचियाँ II, III एवं IV,” के स्थान पर शब्दों एवं अंक “अनुसूचियाँ II और III” को प्रतिस्थापित किया जाए।

[मि. सं. जी. 37026/4/2003-वित्त-II]

संजय जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी—तेल उद्योग विकास मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र, सा.का.नि. 160(अ), दिनांक 22 मार्च, 1975 को प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् ये सा.का.नि. 311, दिनांक 14 मई, 1979, सा.का.नि. 782(अ), दिनांक 7 सितम्बर, 1990 और सा.का.नि. 1282(अ), दिनांक 3 मार्च, 1998 के द्वारा संशोधित किए गए।

अनुसूची-II

तेल उद्योग विकास बोर्ड

नियम 31 (1)

31-3-..... को तुलन पत्र

राशि (रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31-3-..... को	31-3-..... को
1	2	3	4
निधि के साधन			
• तेल उद्योग विकास निधि			
(क)	सरकार द्वारा अंशदान		
(ख)	आरक्षित एवं अधिशेष निधि		

1

2

3

4

ऋण निधि

सुरक्षित ऋण

असुरक्षित ऋण

योग

निधि की प्रयुक्ति

अचल परिसंपत्तियां

घटायें : मूल्यहास

निवेश

चालू परिसम्पत्तिया, ऋण एवं अग्रिम

रोकड़ तथा बैंकों में धनराशि

ऋण एवं अग्रिम

ऋण और निवेश से बसूल किया जाने वाला बकाया ब्याज

कुल (क)

घटायें : चालू देयताएं एवं प्रावधान

चालू देयताएं

प्रावधान

कुल (ख)

दिविध खर्च

(बट्टे-खाते में न डाली गई परिसम्पत्तियां या समायोजन)

कुल

आकस्मिक देयतायें जिनका प्रावधान नहीं है।

लेखों पर टिप्पणियां और विशेष लेखा नीतियां

अनुसूची-III**तेल उद्योग विकास बोर्ड**

31-3-..... की समाप्ति पर लाभ एवं हानि लेखे

नियम 31 (1)

राशि (रुपए में)

विवरण	अनुसूची	31-3-..... को	31-3-..... को
1	2	3	4
आय			
प्राप्त होने वाला ब्याज			
लाभांश से आय			
अन्य आय			
योग			

[भाग II—खण्ड 3(i)]

2

3

4

1

व्यय

प्रत्यक्ष कार्यकलापों पर खर्च
कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य सुविधाएं
प्रशासनिक खर्च
अचल परिस्थितियों पर मूल्यहास

योग**वर्ष में निवल लाभ**

घटाएँ : पूर्वत अवधि का समायोजन
कर से पहले शुद्ध लाभ
घटाएँ : कर का प्रावधान
कर के बाद तुलन पत्र में दर्शाया गया शुद्ध लाभ
आकस्मिक देयताएँ : जिनका प्रावधान नहीं है
लेखों पर टिप्पणियाँ और विशेष लेखा नीतियाँ

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th July, 2004

G.S.R. 489(E).—In exercise of the powers conferred by Section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Oil Industry (Development) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Oil Industry (Development) Amendments Rules, 2004.
(2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Oil Industry (Development) Rules, 1975, hereinafter referred to as said rules the following shall be substituted namely :—
 - (i) For the existing schedules II, III and IV, the schedules II and III as enclosed, shall be substituted.
 - (ii) In Sub-rule (1) of Rule 31 for the words and figures "Schedules II, III and IV", the words and figures "Schedules II and III" may be substituted.

[F. No. G-37026/4/2003-Fin. II]

SUNJOY JOSHI, Jt. Secy.

Footnote : The principal OID Rules were published *vide* Gazette Notification No. G.S.R. 160(E), dated 22nd March, 1975 and were subsequently amended *vide* G.S.R. 311, dated 14th May, 1979, G.S.R. 782(E), dated 7th September, 1990 and G.S.R. 128(E), dated 3rd March, 1998.

SCHEDULE-II**OIL INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD****Rule 31(1)**

Balance Sheet as on 31st March,

Amount (in Rs.)

Particulars	SCH.No.	As on	
		31st March,	31st March,
1	2	3	4

Sources of Funds**OID Fund**

- (a) Contribution from Government
- (b) Reserve and Surplus

Loans Fund**Secured Loans****Unsecured Loans****Total**

1	2	3	4
Applications of Funds			
Fixed Assets			
Gross Block			
Less : Depreciation			
Investments			
Current Assets, Loans and Advances			
Cash and Bank Balances			
Loans and Advances			
Interest on Loan/Investment pending Realisation			

Total (A)

Less : Current Liabilities and Provisions			
Current Liabilities			
Provisions			

Total (B)

Net Current Assets (A-B)			
Misc. Expenditure			
(To the Extent not W/Off or adjusted)			

Total

Contingent Liabilities not provided for Notes to Accounts and significant Accounting Policies

SCHEDULE-III

OIL INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD
Profit and Loss Account for the year Ending 31st March,
Rule 31(1)

Particulars	Sch.No.	Amount (in Rs.)	
		As on 31st March,	As on 31st March,
Income			
Interest Income			
Dividend Income			
Other Income			
Total			
Expenditure			
Expenses on Direct Operations			
Salaries and Amenities to Staff			
Administrative Expenses			
Depreciation on Fixed Assets			
Total			
Net Profit for the Year			
Less : Prior Period Adjustments			
Net Profit before Tax			
Less : Provision for Taxation			
Net Profit after Tax, Carried to Balance Sheet			
Contingent Liabilities not provided for			
Notes to Accounts and significant Accounting Policies.			

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2006

का. आ. 4334.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4825 तारीख 28 दिसंबर, 2005 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में, मैसर्स रिलायन्स गैस द्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पूर्ववत मैसर्स गैस द्रान्सपोर्टेशन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी लिमिटेड जिसका तत्पश्चात पुनःनामकरण मैसर्स रिलायन्स गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड किया गया, की जामनगर - भोपाल और काकीनाडा - हैदराबाद - गोवा पाइपलाइन को आपस में जोड़ने के लिए मैसर्स रिलायन्स गैस द्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एक पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 21 अप्रैल, 2006 से 13 जून, 2006 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और पाइपलाइन विछाने के संबंध में जनता की ओर से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और अनुद्दानकर दिया गया;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि में पाइपलाइन विछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदल्ल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन विछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदल्ल शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायन्स गैस द्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : चौरासी	जिला : सूरत	गज्य : गुजरात		
		आर ओ यु अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एकर	चौन्मी
1	2	3	4	5
1. कछोली	122	00	01	55
	118	00	02	85
	115	00	15	67
	114	00	10	26
	113	00	00	09
	112	00	30	00
	110	00	12	33
	88	00	28	50
	87	00	08	99

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2006

का. आ. 4333.—तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 (1974 का 47) की उपधारा (3) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त की गई शवितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके नाम के सामने लिखित अवधि तक या अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, तेल उद्योग विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है:

		से	तक
1.	श्री डी एन नरसिंहा राजू संयुक्त सचिव (अवेषण) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	6.10.2006	5.10.2008
2.	श्री एस. बहुरिया अध्यक्ष इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	1.7.2006	30.6.2008

[फा. सं. जी-35012/2/91-वित्त-II]

प्रकाश निवेतिया, अवर सचिव

Ministry of Petroleum and Natural Gas

New Delhi, the 6th November, 2006

S.O. 4333.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints/re-appoints the following officers as Members of the Oil Industry Development Board for the period shown against their names or until further orders, whichever is earlier :

		<u>From</u>	<u>To</u>
1.	Shri D.N. Narasimha Raju, Joint Secretary(Exploration), Ministry of Petroleum & Natural Gas	6.10.2006	5.10.2008
2.	Shri S. Behuria, Chairman, Indian Oil Corporation Limited	1.7.2006	30.6.2008

तहसील : पलसाना		जिला : सूरत		राज्य : गुजरात		
गोंव का नाम	सर्वे नवर / लॉक नं			आर ओ यु अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल		
1	2	3	4	हेक्टेयर	एयर	चौ.मी.
1. अंत्रोली	298	00	20	47		
तहसील : कामरेज		जिला : सूरत		राज्य : गुजरात		
* गोंव का नाम	सर्वे नवर / लॉक नं	आर ओ यु अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल		हेक्टेयर	एयर	चौ.मी.
1	2	3	4	5		
1. वेलंजा	278	00	55	08		
	276	00	38	27		
	277	00	01	42		
तहसील : ओलपाड		जिला : सूरत		राज्य : गुजरात		
गोंव का नाम	सर्वे नवर / लॉक नं	आर ओ यु अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल		हेक्टेयर	एयर	चौ.मी.
1	2	3	4	5		
1. कारेली	106	00	21	62		
	109	00	21	30		
	110	00	80	55		
	84	00	39	15		
	86	00	89	83		
	74	00	45	93		
	75/अ	00	29	85		
	75/व	00	01	51		
	63/अ	00	10	05		
	63/व	00	63	44		
	62	00	14	04		
	61	00	31	63		
	7/अ	00	21	06		
	7/व/पि/1	00	36	09		
	7/व/पि/2	00	16	84		
	12	00	12	86		
	13/अ	00	17	47		
	13/व	00	13	58		
	31	00	02	30		
	30	00	14	55		
	29	00	07	02		
	28	00	00	72		
	39	00	18	51		
	38	00	38	78		
	41/पि/1	00	01	74		
	341	00	16	36		
	340	00	16	53		
	325	00	00	04		
	339	00	15	07		
	335	00	13	66		
	336	00	00	57		
	334/अ	00	12	08		
	334/व	00	10	57		
	331	00	01	26		
	332	00	24	76		
	313	00	62	03/		
	291/अ	00	23	40		
	291/व	00	05	8		
	298	00	62			

1	2	3	4	5
2. स्यादला	124	00	16	00
	119	00	02	05
	123	00	64	50
	121	00	17	34
	117	00	59	88
	115	00	55	92
	95	00	20	19
	96	00	93	15
	97/अ	00	43	72
	97/व	00	15	01
	83	00	59	85
	81	00	03	27
	82	00	04	88
	77	00	00	14
3. सिमलधू	146/पि/2	00	48	77
	145/पि/1	00	19	55
	145/पि/2	00	07	26
	144	00	23	47
	142	00	20	66
	141	00	47	83
4. वोलाव	102/पि/1	00	62	86
	99	00	00	99
	150	00	37	65
	97	00	32	62
	98	00	64	94
	128	00	45	72
	127	00	02	07
	129	00	24	69
	313	00	38	57
	137/अ	00	05	59
	137/व	00	15	57
	137/क	00	25	44
	136	00	25	04
	143	00	38	30
5. अनीता	180	00	41	83
	174/अ	00	40	39
	174/व	00	60	10
	165	00	03	77
	166	00	24	82
	150	00	24	65
	167	00	05	42
	148	00	16	92
	147	00	01	18
	391	00	01	30
	412/अ	00	09	83
	412/व	00	24	93
	418	00	31	48
	419	00	00	37
	421	00	06	31
	422	00	00	04
	420	00	26	70
	410/अ	00	00	07
	406	00	45	80
	404	00	64	22
मराठी	182	01	05	51

[फा. सं. एल-14014/36/2005-जी.पी.]
एस. बी. मण्डल, अवर सचिव

तहसील : पलसाना		जिला : सुरत		राज्य : गुजरात	
गौंव का नाम	सर्वे नवर / क्लॉक नं	आर औ यु अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल		हेक्टेयर एयर चौ.मी.	
1	2	3	4	5	5
1. अंत्रोली	298	00	20	47	
तहसील : कासरेज	जिला : सुरत	राज्य : गुजरात		आर औ यु अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल	
* गौंव का नाम	सर्वे नवर / क्लॉक नं	हेक्टेयर	एयर	चौ.मी.	
1	2	3	4	5	
1. वेंलजा	278	00	55	08	
	276	00	38	27	
	277	00	01	42	
तहसील : ओलपाड		जिला : सुरत		राज्य : गुजरात	
गौंव का नाम	सर्वे नवर / क्लॉक नं	हेक्टेयर	एयर	चौ.मी.	
1	2	3	4	5	
1. कोरेली	106	00	21	62	
	109	00	21	30	
	110	00	80	55	
	84	00	39	15	
	86	00	89	83	
	74	00	45	93	
	75/अ	00	29	85	
	75/व	00	01	51	
	63/अ	00	10	05	
	63/व	00	63	44	
	62	00	14	04	
	61	00	31	63	
	7/अ	00	21	06	
	7/वसि/1	00	36	09	
	12	00	12	86	
	13/अ	00	17	47	
	13/व	00	13	58	
	31	00	02	30	
	30	00	14	55	
	29	00	07	02	
	28	00	00	72	
	39	00	18	51	
	38	00	38	78	
	41ष/१	00	01	74	
	341	00	16	36	
	340	00	16	53	
	325	00	00	04	
	339	00	15	07	
	335	00	13	66	
	336	00	00	57	
	334/अ	00	12	08	
	334/व	00	10	57	
	331	00	01	26	
	332	00	24	76	
	313	00	62	03	
	291/अ	00	23	40	
	291/व	00	05	84	
	298	00	62	70	

	1	2	3	4	5
2. स्थादला		124	00	16	00
	119	00	02	05	
	123	00	64	50	
	121	00	17	34	
	117	00	59	88	
	115	00	55	92	
	95	00	20	19	
	96	00	93	15	
	97/अ	00	43	72	
	97/व	00	15	01	
	83	00	59	85	
	81	00	03	27	
	82	00	04	88	
	77	00	00	14	
3. सिपलई		146/पि/2	00	48	77
	145/पि/1	00	19	55	
	145/पि/2	00	07	26	
	144	00	23	47	
	142	00	20	66	
	141	00	47	83	
4. बोलाघ		102/पि/1	00	62	86
	99	00	00	99	
	150	00	37	65	
	97	00	32	62	
	98	00	64	94	
	128	00	45	72	
	127	00	02	07	
	129	00	24	69	
	313	00	38	57	
	137/अ	00	05	59	
	137/व	00	15	57	
	137/क	00	25	44	
	136	00	25	04	
	143	00	38	30	
5. अनीता		180	00	41	83
	174/अ	00	40	39	
	174/व	00	60	10	
	165	00	03	77	
	166	00	24	82	
	150	00	24	65	
	167	00	05	42	
	148	00	16	92	
	147	00	01	18	
	391	00	01	30	
	412/अ	00	09	83	
	412/व	00	24	93	
	418	00	31	48	
	419	00	00	37	
	421	00	06	31	
	422	00	00	04	
	420	00	26	70	
	410/अ	00	00	07	
	406	00	45	80	
	404	00	64	22	
संग्रह		182	01	05	51

तहसील ३ पलसाना		जिला ३ सुरत		राज्य ३ गुजरात			
गाँव का नाम	सर्वे नवर / ब्लॉक नं			आर ओ यु अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल	हेक्टेयर	एयर	चौ.मी.
1	2	3	4	5			
1. अंत्रोली	298	00	20	47			
तहसील ३ कामरेज	जिला ३ सुरत			राज्य ३ गुजरात			
गाँव का नाम	सर्वे नवर / ब्लॉक नं			आर ओ यु अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल	हेक्टेयर	एयर	चौ.मी.
1	2	3	4	5			
1. वेलंजा	278	00	55	08			
	276	00	38	27			
	277	00	01	42			
तहसील ३ ओलपाड	जिला ३ सुरत			राज्य ३ गुजरात			
गाँव का नाम	सर्वे नवर / ब्लॉक नं			आर ओ यु अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल	हेक्टेयर	एयर	चौ.मी.
1	2	3	4	5			
1. कारेली	106	00	21	62			
	109	00	21	30			
	110	00	80	55			
	84	00	39	15			
	86	00	89	83			
	74	00	45	93			
	75/अ	00	29	85			
	75/व	00	01	51			
	63/अ	00	10	05			
	63/व	00	63	44			
	62	00	14	04			
	61	00	31	63			
	7/अ	00	21	06			
	7/व/पि/1	00	36	09			
	7/व/पि/2	00	16	84			
	12	00	12	86			
	13/अ	00	17	47			
	13/व	00	13	58			
	31	00	02	30			
	30	00	14	55			
	29	00	07	02			
	28	00	00	72			
	39	00	18	51			
	38	00	38	78			
	41/पि/1	00	01	74			
	341	00	16	36			
	340	00	16	53			
	325	00	00	04			
	339	00	15	07			
	335	00	13	66			
	336	00	00	57			
	334/अ	00	12	08			
	334/व	00	10	57			
	331	00	01	26			
	332	00	24	76			
	313	00	62	03			
	291/अ	00	23	40			
	291/व	00	05	84			
	298	00	62	70			

1	2	3	4	5
2. स्यादला				
	124	00	16	00
	119	00	02	05
	123	00	64	50
	121	00	17	34
	117	00	59	88
	115	00	55	92
	95	00	20	19
	96	00	93	15
	97/अ	00	43	72
	97/व	00	15	01
	83	00	59	85
	81	00	03	27
	82	00	04	88
	77	00	00	14
3. सिमलधु	146/पि/2	00	48	77
	145/पि/1	00	19	55
	145/पि/2	00	07	26
	144	00	23	47
	142	00	20	66
	141	00	47	83
4. वोलाव	102/पि/1	00	62	86
	99	00	00	99
	150	00	37	65
	97	00	32	62
	98	00	64	94
	128	00	45	72
	127	00	02	07
	129	00	24	69
	313	00	38	57
	137/अ	00	05	59
	137/व	00	15	57
	137/क	00	25	44
	136	00	25	04
	143	00	38	30
5. अनीता				
	180	00	41	83
	174/अ	00	40	39
	174/व	00	60	10
	165	00	03	77
	166	00	24	82
	150	00	24	65
	167	00	05	42
	148	00	16	92
	147	00	01	18
	391	00	01	30
	412/अ	00	09	83
	412/व	00	24	93
	418	00	31	48
	419	00	00	37
	421	00	06	31
	422	00	00	04
	420	00	26	70
	410/अ	00	00	07
	406	00	45	80
	404	00	64	22
मराठी	182	01	05	51

[फा. सं. एल-14014/36/2005-जी.पी.]

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव

GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-Publication) Department
NOTIFICATION

No. 521/Leg.Pbn. 2/82/Law. Dated, Trivandrum, 25th February 1982.

The following Act of Parliament, published in a Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 1, dated the 11th December, 1981, is hereby republished for general information. The Bill as passed by the Houses of Parliament received the assent of the President on the 10th December, 1981.

By order of the Governor,
K. VISWANATHAN NAIR,
Special Secretary (Law)

THE OIL INDUSTRY (DEVELOPMENT) AMENDMENT
ACT, 1981

(No. 45 of 1981)

*An
Act*

to amend the Oil Industry (Development) Act, 1974

Be it enacted by Parliament in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Oil Industry (Development) Amendment Act, 1981.

2. *Amendment of the Schedule.*—In the Schedule to the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974) in Sl. No. 1 relating to crude oil, for the entry in the third column, the entry “Rupees three hundred per tonne,” shall be substituted.